

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोविन्दगढ (अलवर) राज.

मुकदमा संख्या : 4/3 /2022 तारीख रजू :- 22/6/22

गुरमीत सिंह बनाम राजू साक्का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख हुक्म जो जारी हुआ
22.6.22	<p>वकील डिडीदा उपस्थित। यह जज साक्का इजलाह वकील डिडीदा ने पेशा किया। रज वॉलिका को तहसीलदा गोविन्दगढ को अहकाम इस अमल का फेजारी हो कि किसी न्यायालय का स्वगत नहीं होने मुताबिक डिडी राजसव हिंसा में अमल दामद कि भाजाके पालन रिपोर्ट तलब होकर पलवली दिनांक 20/7/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)</p>	
20/7/22	<p>वकुलाए फरीकेन उप०/P.O. साहब है। पत्रावली दिनांक..... को पेश हो 24.8.22</p> <p style="text-align: right;">रज</p>	
24.8.22	<p>वकील डिडीदा उपस्थित। वकिले इजलाह पालन रिपोर्ट तलबकी दिनांक 21.9.22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)</p>	
21.9.22	<p>वकील डिडीदा उपस्थित। पालन रिपोर्ट तलब होकर पलवली दिनांक 21.10.22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)</p>	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

गुरमीत सिंह

बनाम

सरकार

प्रकरण सं.

413/2022

तारीख रजू

22.06.2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
09.6.25	<p>पत्रावली पेश हुई। पालना रिपोर्ट बाबत तहसीलदार गोविन्दगढ को तस्वीर जारी की। पत्रावली दिनांक 03.7.2025 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०</p>	
03.7.25	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार गोविन्दगढ के फ़ाइल नं० 694 दिनांक 1.7.25 के हटा पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली में पालना रिपोर्ट अनुसार नामाकरण सेव्या 821 दिनांक 09.7.22 के हटा इमराप भापेबा की पालना हट दी गई है। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से क्रम है। बाद तस्वीर पत्रावली शामिल दफ़्तर है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०</p>	